

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

आदेश

पटना, दिनांक.....

आ०सं०-०४ / वि०१६-०५ / २०१४..... / शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में
व्याप्त भ्रष्टाचार के रोक-थाम एवं भ्रष्ट लोक सेवकों के लिये कार्रवाई किए जाने के लिये
विभागीय स्तर पर एक हेल्प लाईन सेवा का गठन किया जाता है।

2. श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, रिसर्च फेलो, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं
राजनीतिक शोध संस्थान, पटना, प्रभारी पदाधिकारी, शिकायत निवारण कोषांग, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे भ्रष्टाचार के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से
दूरभाष पर प्राप्त शिकायतों का संग्रह करेंगे तथा संबंधित निदेशालय को कार्रवाई हेतु प्रेषित
करेंगे। विभागीय हेल्प लाईन के रूप में दूरभाष सं०-०६१२-२२१५१४३ का उपयोग किया
जायगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजेन्द्र राम)

निदेशक (प्रशासन) - सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :— १७४ /

पटना, दिनांक २९-१-१५

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष
सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप
निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री गौरव कान्त, आई०टी० मैनेजर/श्री सत्येन्द्र नारायण
पासवान, प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी, शिकायत निवारण कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, श्री गौरव कान्त को निदेश दिया जाता है कि विभागीय बेवसाइट पर^{२०१५}
अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

२०१५
१५-१-१५
(राजेन्द्र राम)
निदेशक (प्रशासन) - सह-अपर सचिव
१५-१-१५